

(रा.प्र. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
सिवाना जिला बालोतरा  
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खरबिया की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 249 में मेरा/हमारे नाम हरीश पुत्र करनाराम


दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम हरीश चौधरी पुत्र करनाराम चौधरी है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावे ।  
दिनांक :-

  
हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

प्राची के संतान उत्तारवती अंजुमार हरीश के स्थान पर  
हरीश चौधरी नाम शुद्ध किया जाना उचित है

  
142 भू.अ.  
23/12/25

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

GCM No. 2026/210

आदेश

  
23.12.25  
तहसीलदार समदडी

क्रमांक / / / 217

दिनांक 13/03/2026

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम खरबिया की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 249 में हरीश पुत्र करनाराम के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

हरीश चौधरी पुत्र करनाराम चौधरी करने की स्वीकृति प्रदान

की जाती है तदनुसार रेकॉर्ड में अमल में सुधार की कार्यवाही की जावे ।



उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)